

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एण्डो, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशासित / परियोजना पर आवेदित	द्वारा पोर्टल प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/101/2024	1(a)	आगर मालवा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/216/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/210/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/212/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/203/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/202/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/218/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/228/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	1821/2014	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/682/2024	1(a)	उमरिया	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

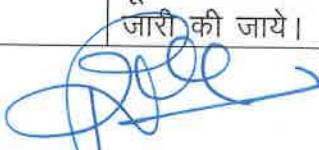
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

11.	7417/2020	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
12.	10106/2023	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	10105/2023	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	10876/2023	1(a)	खरगौन	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	11078/2023	1(a)	विदिशा	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.:** SIA/MP/MIN/518871/2025, Case No P2/101/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 8.48 hectare, for production capacity of 9600 cum per annum, at Khasra No.- 1 & 2, Village - Ghatakhedi, Tehsil - Susner, District - Agar Malwa (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Radhakrishnan Nair Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Agar Malwa	Ghat akhe di	01,02	2021-22	8.48	1298.10	8.48	0.14	11872	0.19	16112	16112	9667.2	0
			2022-23		1901.39	8.48	0.19	16112	0.26	22048	22048	13228.8	0
			2023-24		966.70	8.48	0.26	22048	0.29	24592	24592	14755	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519380/2025, Case No P2/216/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 10.50 hectare, for production capacity of 157500 cum/year at Khasra No.- 344, Village – Malhanwada-2 , Tehsil - Bankheri, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार उक्त खदान क्षेत्र से 347 मीटर की दूरी पर मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

3. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519406/2025, Case No P2/210/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 10.50 hectare (As per SEAC recommendation minable area is 3.19), for production capacity of 52000 cum/year (as per minable area) at Khasra No.- 344, Village – Malhanwada-1, Tehsil - Bankheri, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Malhanwada-1	344	2021-22	10.50	1081.10	10.50	2.20	231000	2.50	262500	262500	157500	63568
			2022-23		2001.46	10.50	1.80	189000	2.7	283500	283500	170100	0
			2023-24		1256.10	10.50	2.7	283500	3	315000	315000	189000	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 10.50 हे. में से मात्र 3.19 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

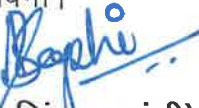
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.
2025 का कार्यवाही विवरण

(X) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

4. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519509/2025, Case No P2/212/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 10.00 hectare, for production capacity of 120000 cum/year, at Khasra No.- 114, Village – Revamuhari, Tehsil - Sohagpur, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Revamuhari	114	2021-22	10.000	1081.10	10.00	1.60	160000	2.00	200000	200000	120000	53651
			2022-23		2001.46	10.00	1.45	145000	2.15	215000	215000	129000	0
			2023-24		1256.10	10.00	2.15	215000	2.45	245000	245000	147000	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

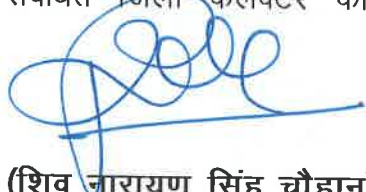
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईबल शैड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

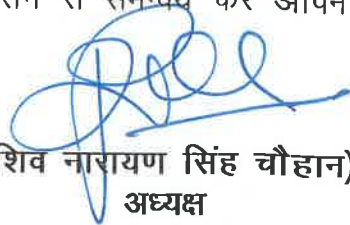
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वीं बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

5. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519506/2025, Case No P2/203/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 23.572 hectare (As per SEAC recommendation minable area is 14.36, for production capacity of 230000 cum/year (as per minable area) at Khasra No.- 64, Village – Raja Pipariya-1, Tehsil - Bankheri, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Raja Pipariya-1	64	2021-22	23.572	1081.10	8.03	2.20	176660	2.50	200750	200750	120450	0
			2022-23		2001.46	8.03	2.50	200750	3.65	293095	293095	175857	0
			2023-24		1256.10	8.03	3.65	293095	3.8	305140	305140	183084	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 23.572 हे. में से मात्र 14.36 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईबल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

6. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519481/2025, Case No P2/202/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 20.671 hectare, for production capacity of 310065 cum/year, at Khasra No.- 1498, Village – Umardha , Tehsil - Bankheri, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Umardha	1498	2021-22	20.671	1081.10	8.03	2.20	176660	2.50	200750	200750	120450	0
			2022-23		2001.46	8.03	2.50	200750	3.3	264990	264990	158994	0
			2023-24		1256.10	8.03	3.3	264990	3.75	301125	301125	180675	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वयं निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

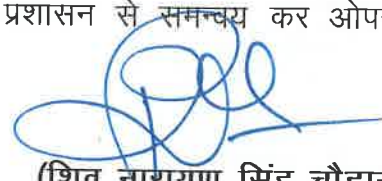
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह राधवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

7. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519483/2025, Case No P2/218/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 14.40 hectare, for production capacity of 216000 cum/year, at Khasra No.- 357, Village – Anhai , Tehsil - Bankheri, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Anhai	357	2021-22	14.400	1081.10	14.40	2.20	316800	2.50	360000	360000	216000	0
			2022-23		2001.46	14.40	2.50	360000	3.4	489600	489600	293760	0
			2023-24		1256.10	14.40	3.4	489600	3.75	540000	540000	324000	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वयं निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईबल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

8. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519388/2025, Case No P2/228/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 15.00 hectare, for production capacity of 225000 cum/year, at Khasra No.- 312, Village – Paraswada, Tehsil - Bankheri, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Paraswada	312	2021-22	15.000	1081.10	15.00	2.10	315000	2.50	375000	375000	225000	0
			2022-23		2001.46	15.00	2.50	375000	2.85	427500	427500	256500	0
			2023-24		1256.10	15.00	2.85	427500	3.05	457500	457500	274500	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 799वी बैठक दिनांक 03.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

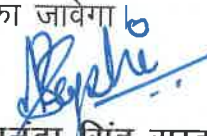
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

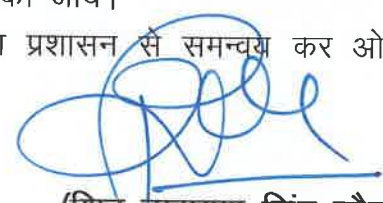
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छ:माही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छ: माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।
- 
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुरजदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9. Proposal No.: SIA/MP/MIN/533847/2025, Case no 1821/2014, Prior Environment Clearance for approval of proposed Stone Quarry in an area of 02.50 ha. for production capacity of 25000 at Khasra No. 1320, Village-Gulana, Tehsil-Gulana, District Shajapur (MP) by Smt. Nikita Singh R/o Village-Bolai, Tehsil-Gulana, District Shajapur (MP)-465220 For Validity Extension of EC

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"The committee after PP submission found that the application is not filed by PP in the stipulated time mentioned in the Rule 9 of Para bof EIA Notification 2006 and its amendments. However, on the request of PP one more opportunity is granted to produce the genuine papers, facts in the matter regarding condonation of delay, in order to consider the case"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया गया कि SEAC द्वारा प्रकरण क्या अनुशंसा की गई है स्पष्ट नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519811/2025, Case No P2/682/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 10.110 hectare, for production capacity of 181980 cum/year, at Khasra No.- 317/384, Village – Mohbala, Tehsil - Manpur, District - Umaria (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gayaprasad Anjne Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Umaria	Mohbala	317/384	2021-22	10.11	956.80	10.11	1.25	126375	3.50	353850	353850	212310	224022
			2022-23		1039.10	10.11	1.28	129408	3.60	363960	363960	218376	199991
			2023-24		1085.60	10.11	1.62	163782	3.00	303300	303300	181980	97525

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 794वी बैठक दिनांक 27.05.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वयंसेवक निरस्त हो जायेगी।

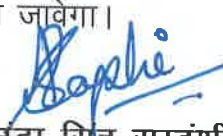
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

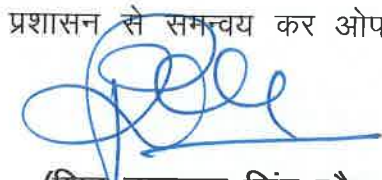
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।
- 
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/438828/2023**, प्रकरण क्र. 7417/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दीप इन्डस्ट्री श्री अमित मिश्रा, निवासी 402, बड़ागांव गेट, बहार, जिला झांसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 8820 घनमीटर प्रतिवर्ष से 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 306, ग्राम बबाई, तहसील निवाड़ी जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753-B वी बैठक दिनांक 18.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन में उल्लेखित 30 दिवस में शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपस्थित होंगे। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होंगे।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/428122/2023, प्रकरण क्र. 10106/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डी.जी. मार्बल एंड ग्रैनाइट्स एल.एल.पी., निदेशक, श्री अज्ञात गुप्ता, निवासी 158, तृतीय तल, जोन-2, एमपी नगर, जिला-भोपाल (म0प्र0) द्वारा ग्रैनाइट, बोल्टर, एम-सेण्ड एवं गिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रैनाइट-1006, बोल्टर-4299.8, एम-सेण्ड-12899.4 एवं गिट्टी-4299.8 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.556 हे0, खसरा क्रमांक 455, ग्राम-भितरिया, तहसील-लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 802वी बैठक दिनांक 24.08.2023 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

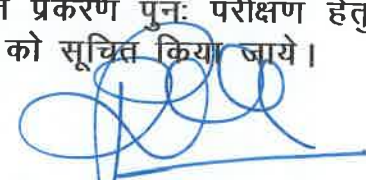
" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान पहाड़ पर स्थित है तथा निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-708 का भाग है। अतः प्रकरण में पर्यावरण संवेदनशीलता व खदान वर्जन पहाड़ी पर होने के दृष्टिगत कलेक्टर, छतरपुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि प्रस्तावित खदान जो वर्जन पहाड़ी पर स्थित है एवं निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-708 का भाग है पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा ? तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान वन क्षेत्र के अंदर स्वीकृत है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से Forest Clearance प्राप्त नहीं की गई है जो कि भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के परिपालन में आवश्यक दस्तावेज है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/428122/2023**, प्रकरण क्र. 10105/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डी.जी. मार्बल एंड ग्रेनाइट्स एल.एल.पी., निदेशक, श्री अज्ञात गुप्ता, निवासी 158, तृतीय तल, जोन-2, एमपी नगर, जिला-भोपाल (म0प्र0) द्वारा ग्रेनाइट, बोल्टर, एम-सेण्ड एवं गिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट-1263, बोल्टर-5375.20, एम-सेण्ड-16125.6 एवं गिट्टी-5375.2 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हे0, खसरा 550, ग्राम-भितरिया, तहसील-लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 802वी बैठक दिनांक 24.08.2023 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान पहाड़ पर स्थित है तथा निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-709 का भाग है। अतः प्रकरण में पर्यावरण संवेदनशीलता व खदान वर्जन पहाड़ी पर होने के दृष्टिगत कलेक्टर, छतरपुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि प्रस्तावित खदान जो वर्जन पहाड़ी पर स्थित है एवं निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-709 का भाग है पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा ? तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान वन क्षेत्र के अंदर स्वीकृत है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से Forest Clearance प्राप्त नहीं की गई है जो कि भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के परिपालन में आवश्यक दस्तावेज है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/451535/2023, प्रकरण क्र. 10876/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नवीन अग्रवाल आत्मज श्री मनोहरलाल अग्रवाल, निवासी— ग्राम चिन्दीया, तह. महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2900 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 30, ग्राम लेपा, तह. कसरावाद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753— B वी बैठक दिनांक 18.05.2024 एवं 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 753— B वी बैठक दिनांक 18.05.2024 एवं 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश क्रमांक 1265 दिनांक 25.09.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.
2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

15. Proposal No.: SIA/MP/MIN/451535/2023, प्रकरण क्र. 11078/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रशांत नायक आत्मज श्री गोविंद नायक, निवासी गंजबाशोदा, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6,250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.862 हेक्टेयर, खसरा 85/2, 85/3, ग्राम - लहदरा, तहसील बासोदा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। -DEIAA EC Re-appraisal

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 एवं 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 एवं 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन का आदेश क्रमांक 1220 दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 40 पौधों का रोपण किया जायेगा एवं शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें। उक्त 04 पेड़ों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत ही काटा जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 901वी बैठक दिनांक 29.09.2025 का कार्यवाही विवरण

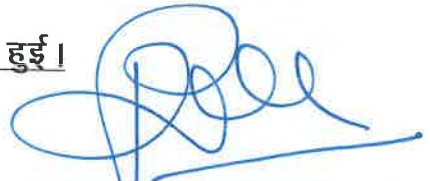
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष